न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या-01/2008

हरिसिंह पुत्र जोरावरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम जुराठड़ा ō तहसील व जिला सीकर ।

---अपीलान्ट---

---बनाम---

1-रूपाराम पुत्र चन्द्राराम उर्फ चूना जाति जाट निवासी जुराठड़ा तहसील व जिला सीकर ।

2-उदा उर्फ भगवाना पुत्र कजोड जाति बलाई निवासी ग्राम बलारा तहसील व जिला सीकर ।

3-पतासी पत्नी स्व0 परसुराम जाति अहिर निवासी दुल्हेपुरा तहसील व जिला सीकर

4-कुरडाराम पुत्र ⟫ घीसा जाति अहिर निवासी जुराठड़ा तहसील व जिला सीकर।
5- बजरंगलाल पुत्र ⟫

6-गणेशा पत्नी भगवाना ⟫ जाति बलाई निवासी जुराठड़ा तहसील व जिला सीकर।
7-हरदेवा पुत्र भगवाना ⟫

8- नेमीचन्द ⟫
9- छोटू ⟫
10-राजू ⟫ पुत्रगण भगवाना नाबालिगान जरिये संरक्षिका माता गणेशी
11-मनोज ⟫ पत्नी भगवाना जाति बलाई निवासी जुराठड़ा ।
12-नरेश ⟫

13- सन्तोष पुत्री स्व0 भगवना जाति बलाई निवासी जुराठड़ा
14- भू-धारक जरिये तहसीलदार, सीकर ।

--रेस्पोन्डेन्टस---

15- रामसिंह पुत्र जोरावरसिंह ⟫ जाति राजपूत निवासी जुराठड़ा तहसील व
16- कृष्णा कंवर पत्नी पृथ्वीसिंह ⟫ जिला सीकर ।
17- बसंन्त कंवर पुत्री पृथ्वीसिंह ⟫

18- कुलदीपसिंह आयु- 16 वर्ष ⟫ पुत्रगण पृथ्वीसिंह अव्यस्क जरिये संरक्षिका माता
19- मनोजसिंह आयु 13 वर्ष ⟫ कृष्णाकंवर पत्नी पृथ्वीसिंह जाति राजपूत निवासी जुराठड़ा तहसील व जिला सीकर।

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक
30-6-2007 द्वारा जिला
कलेक्टर सीकर ।

---0---

उपस्थिति-

1-श्री सोहनलाल एडवोकेट- अपीलान्ट

2-श्री बनवारीलाल बरवड़ा एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक- 23.3.2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी पृथ्वीसिंह ने तहसीलदार सीकर को को एक पत्र लिखकर निवेदन किया कि ग्राम जुराठड़ा के आराजी ख0 नं0 1211, 1202, 1204, 1221/1432, 1205, 1206, 1216, 1217, 1218, 1215 में से परतुराम, रूपाराम, घीसाराम, भगवाना को आंवटीत की गई है जिसका अंकन केवल रेकार्ड में किया गया है मौके पर कोईकब्जा नहीं दिया गया। इस कारण आंवटन को निरस्त किया जावे । इस पर तहसीलदार ने हल्का गिरदावर की रिपोर्ट के बाद उप खण्ड अधिकारी को आवंटन निरस्त करने का निवेदन करने हेतु पत्रांक 2361 दिनांक 6-6-2006 भिजवाया जिस पर उप खण्ड अधिकारी सीकर ने आंवटन निरस्त करने का प्रार्थना पत्र अदालत मातहत को भिजवाया गया । जिसे अदालत मातहत ने बाद सुनवाई खारिज कर दिया । जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । विवादित आराजी के पुराने खसरा नं0-509 व 510 कुल किता-2 रकबा 35 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम जुराठड़ा पर अपीलान्ट के पिता जोरावरसिंह का कब्जा काश्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभव में आया उससे पूर्व चला आ रहा है ।जिसका अंकन खसरा गिरदावरी सं0- 2012 से पूर्व से लगातार अंकित है। जिससे विवादित आराजी पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 के

अनुसार अपीलान्ट पुराना कब्जा के आधार पर बाई आपरेशन आफ ला खातेदार काश्तकार हो चुकाजिस पर अपीलान्ट अपने जिपा के समय से उनके देहान्त के बाद अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट सं0-15 से 19 काबिज काश्तकार दर्ज चले आ रहे हैं । गलत राजस्व रेकार्ड की जानकारी होने पर उप खण्ड अधिकारी सीकर के यहां अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट सं0-16 से 19 के पूर्वज पृथ्वीसिंह ने एक दावा मु0नं0 264/1982 पेश किया जिसे स्वीकार कर उक्त आराजी का वादीगण(अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट सं0-16 से 19 के पूर्वज पृथ्वीसिंह)को खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया गया । जिस पर अपीलान्ट एवं रेस्पो0 सं0-16 से 19 का कब्जा काश्त है । रेस्पोडेन्ट सं0-1 से 13 का इस आराजी पर कोई कब्जा काश्त नहीं है । किन्तु गलत तथ्यों के आधार पर रेस्पोडेन्ट सं0 -3 के पति परतूराम ने दिनांक 27-11-1977 को ख0नं0 510 में से 9 बीघा , रेस्पो0सं0-6 से 13 के पूर्वज भगवाना को ख0नं0 509 में से 12 बीघा, रेस्पो0 सं0- 4 व 5 के पूर्वज घीसाराम को ख0नं0 510 में से 8 बीघा 3 बिस्वा, रेस्पो0 सं0-2 को ख0नं0 509 में से 6 बीघा और रेस्पोडेन्ट सं0-1का ख0नं0 509 में से 5 बीघा 12 बिस्वा भूमि का सर्वथा अवैध एवे अनाधिकृत गलत रूप से आंवटन कर दिया। जिसमें अपीलान्ट के पिता को आवंटन से पूर्व कोई सूचना अथवा नोटिस नहीं दिया गया ।अदालत मातहत ने अपना निर्णय इन तथ्यों पर कोई गौर न कर पारित किया है । नामान्तरकरण संख्या-58, 65 व 66 सरपंच ग्राम पंचायत ने विधि विरूद्ध तस्दीक किये हैं ।जबकि सरपंच को भू-आवंटन या गैर खातेदारी के रूप में दर्ज भूमि की खातेदारी देने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है ।सरंपच ग्राम पंचायत ने मौके परकब्जे की भी कोई जांच न कर अपना निर्णय पारित किया है ।तहसीलदार एवं उप खण्ड अधिकारी सीकर ने गलत रूप से तथ्यों को छिपाकर प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट सं0 16 से 19 को पक्षकार नहीं बनाया गया। जबकि विवादित आराजी पर अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट सं0-16 से 19 पूर्वजों के समय से काबिज काश्तकार चले आ रहे है।अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाये जाने से अपीलार्थीन आदेश की जानकारी

नहीं हो पाई। जानकारी होने पर यह अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश की है ।अतः अपीलान्ट की अपील अन्दर मियाद शुमार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किया जाकर अपील स्वीकार की जाकर आंवटन आदेश निरस्त किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि विवादित आराजी पर अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट सं0-15 से 19 के पूर्वजो का कब्जा काश्त राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रभाव में आने के पूर्व से रहा है। जिस पर आज भी कब्जा अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या-15 से 19 का है ।रेस्पोडेन्ट सं0-15 से 19 एवं अपीलान्ट का हित समान है किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या-15 से 19 अपील के समय यहां पर नहीं होने से उन्हे रेस्पोडेन्ट बनाया गया है ।तथा अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाये जाने से यह अपील धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की है ।विवादित आराजी पर आज भी रेस्पोडेन्ट संख्या-1 से 13 का कोई कब्जा काश्त नहीं है केवल राजस्व रेकार्ड में गलत इन्द्राज किया गया है ।बाकी मौके पर कोई कब्जा नहीं है । राजस्व रेकार्ड में गलत इन्द्राज का मालूम होने पर अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या- 16 से 19 के पूर्वज पृथ्वीसिंह ने उप खण्ड अधिकारी के यहां दावा सं0- 264/1982 पेश किया जिसमें दिनांक 24-9-1984 को निर्णय किया जाकर ख0नं0 509 व 510 की खातेदारी वादीगण के नाम किये जाने के आदेश दिये जिसकी डिक्री दिनांक 17-10-1984 को जारी की । अदालत मातहत ने अपीलान्ट को खातेदार काश्तकार होने के बाद भी पक्षकार नहीं बनाया । आंवटन के समय भी कोई सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया । अदालत मातहत ने इन तथ्यों पर कोई गौर न कर अपना निर्णय पारित किया है जो विधि के विपरित है । अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किया जाकर आंवटन आदेश निरस्त किया जावे ।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने बहस में कथन किया कि विवादित आराजी का आवंटन दिनांक 27-11-1977 को आंवटन नियमों की शर्तों की पालना करते हुये आंवटन कर आंवटित आराजी का कब्जा दिया गया । आवंटन के बाद कब्जा की जांच कर नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है ।रिपोर्ट हल्का निरी-क्षक में आंवटियों को विवादित आराजी पर कब्जा बताया गया है । अदालत मातहत ने अपने निर्णय में भी दर्ज किया है कि आंवटियों को आंवटन की शर्तों की पालना करने पर ही आराजी का आंवटन किया गया है।बाद में राजस्व ~~रेका~~ रेकार्ड में आंवटन का अंकन कब्जा काश्त के आधार पर किया गया है ।आंवटन सन् 1977 का है जो लगभग 50 वर्ष से अधिक का है जिसे आज निरस्त यह कहकर नहीं किया जा सकता कि आंवटन शर्तों की पालना नहीं की है ।अदालत मातहत ने अपना निर्णय उचित एवं विधिक दिया है।अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । आवंटन आदेश दिनांक 27-11-1977 को आराजी ख0नं0 509 व 510 में से आंवटन परतूराम, भगवाना, घीसा, नाथूराम, उदाराम, रूपाराम को आंवटन किया गया है । आंवटन कोर कमेटी में किया गया है । कुरडाराम पुत्र घीसाराम व रूपाराम पुत्र चन्द्राराम ने आंवटित आराजी पर अपना कोई कब्जा नही बताया है ।नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2012 से 2014, 2015 से 2017, 2018, 2019, में विवादित आराजी जोरावरसिंह की काश्त में दर्ज है । सम्वत 2030 से 2033 में विवादित आराजी सिवायचक दर्ज है । यु0सं0-264/1982 पृथ्वीसिंह बनाम तहसीलदार में डिक्री दिनांक 17-10-1984 को जारी की है जिसमें खसरा नं0 509 व 510 कुल रकबा 35 बीघा 12 बिस्वा का वादीगण को खातेदार काबिज काश्तकार घोषित किया है । नकल खसरा गिरदावरी सं0- 2011 से

2019, तक ख0नं0 509 रकबा 23 बीघा 12 बिस्वा ख0नं0 510 रकबा 17 बीघा 3 बिस्वा का कालम संख्या-5 में खातेदार/गैरखातेदार के कालम में अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या-15 से 19 के पूर्वज जोरसिंह वल्द नानसिंह राजपूत के नाम दर्ज है ।सम्वत 2030 से 2032 में उक्त आराजी सिवायचक लगानी दर्ज है । आवंटन/नियमन 27-11-77 को किया गया है अर्थात आंवटन सम्वत 2034 में किया गया है ।जिसमें ख0नं0 509 व 510 में आराजी का नियमन किया गया है। नियमन उसी व्यक्ति को किया जाता है जिसका आराजी पर कब्जा हो।यहां पर आंवटियो का किसी का भी कब्जा नहीं है कब्जा केवल जोरसिंह का दर्ज है । साथ ही इस आराजी का मु0सं0264/82 निर्णय दिनांक 24-9-84 एवं डिक्री दिनांक 17-10-84 के द्वारा उक्त भूमि का पृथ्वीसिंह, रामसिंह हरिसिंह पुत्रगण जोरसिंह को धारा-15 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है । अदालत मातहत में अपीलान्ट पक्षकार नहीं थे इस कारण इन्होने धारा-96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया है। जिसके लिये यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट खसरा गिरदावरी सं0-2011 से 2019 तक खातेदार के कालम में दर्ज है, साथ ही डिक्री दिनांक 17-10-84 भी अपीलान्ट के पक्ष में पारित हुई है । इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट विवादित आराजी में हितबद्ध पक्षकार है। यहां पर धारा-96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट अदालत मातहत में पक्षकार नहीं होने पर अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है । अपीलान्ट हितबद्ध पक्षकार होने के साथ ही विवादित आराजी की डिक्री अपीलान्ट के पक्ष में जारी की है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के पूर्व से कब्जा होने पर जारी की है । उप खण्ड अधिकारी ने अदालत मातहत के यहां आवंटन को निरस्त करने का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें जिन के पक्ष मे डिक्री जारी की है उन्हे भी पक्षकार बनाये बिना ही प्रार्थना पत्र पेश किया।अपीलान्ट का विवादित आराजी में हितनिहित होने से हम अपीलांट की अपील को स्वीकार कर अदालत मातहत को प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया

दिनांक 24-9-84 एवं डिक्री दिनांक 17-10-84 का एवं इस डिक्री में अपीलान्ट के पिता का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से निरन्तर निर्बाध कब्जे के आधार पर धारा-15 आरटीएक्ट के आधार पर न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सीकर ने अपना निर्णय अपीलान्ट आदि के पक्ष में दिनांक 17-10-1984 को डिक्री किया, इसमें निरन्तर कब्जा जब अपीलान्ट का माना गया है तो पहले से ओक्युपाईड(कब्जे शुदा) भूमि का नियमन किया जाना भी प्रश्नचिन्ह पैदा करता है । इस तथ्य का भी ध्यान रखते हुये पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुये अपना निर्णय पुनः पारित करें ।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान जिला कलेक्टर सीकर का निर्णय दिनांक 30-6-2007 खारिज किया जाकर प्रकरण रिमाण्ड किया जाता है । पक्षकार अदालत मातहत में दिनांक 30-4-2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 23.3.2018 को सुनाया गया ।

23/3/18

(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर